



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22072020-220627
CG-DL-E-22072020-220627

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2122]
No. 2122]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 21, 2020/ आषाढ 30, 1942
NEW DELHI, TUESDAY, JULY 21, 2020/ASADHA 30, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 2020

का.आ. 2407(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II खंड 3 उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना सं.का.आ. 689(अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011 में एतद्वारा और निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

अनुसूची में, क्रम सं. 28 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

क्र. सं.	नयी राष्ट्रीय राजमार्ग सं.	राष्ट्रीय राजमार्ग का विवरण
(1)	(2)	(3)
28	9	पंजाब राज्य में मलौट के निकट रारा सं.-7 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर हरियाणा राज्य में डबवाली, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, हांसी, रोहतक, बहादुरगढ़, दिल्ली [रिंग रोड के पंजाबी बाग भाग को छोड़कर (पुराने रारा-10 का किमी 12.300) से निजामुद्दीन पुल रिंग रोड टी जंक्शन (पुराने रारा सं. 24 का किमी 0.00) और निजामुद्दीन पुल रिंग रोड टी जंक्शन (पुराने रारा सं. 24 का किमी 0.00) से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में दिल्ली/उत्तर प्रदेश सीमा (पुराने रारा सं. 24 का किमी 8.360), डासना [दिल्ली /उत्तर प्रदेश सीमा को छोड़कर (पुराने रारा सं. 24 का किमी

		8.360) से डासना (पुराने रास सं. 24 का किमी 28.400)], उत्तर प्रदेश राज्य राज्य में मुरादाबाद, रामपुर, बिलासपुर, रुद्रपुर, सितारगंज, खटीमा, टनकपुर, पिथौरागढ़, ओगला, असकोट, धारचुला, तवाघाट, सिरखा, मैपा, गर्बयांग को जोड़ते हुए और उत्तराखंड राज्य में भारत/चीन सीमा के निकट लिपू लेख पास पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।
--	--	--

पाद टिप्पण: राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) और इसकी अनुसूची, भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एसआरओ 1180 तारीख 4 अप्रैल, 1957 द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसे अधिसूचना संख्या का.आ. 689(अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था और अंतिम बार अधिसूचना संख्या का. आ. 2163(अ) तारीख 29 जून, 2020 द्वारा संशोधित की गया था।

[फा. सं. एनएच-14012/10/2020-पी एंड एम]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st July, 2020

S.O. 2407(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Road Transport and Highways published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O 689(E), dated, the 4th April, 2011, namely:-

In the Schedule, for serial number 28 and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

Serial No.	New National Highway No.	Description of National Highways
(1)	(2)	(3)
28	9	The Highways starting from its junction with NH-7 near Malaut in the State of Punjab connecting Dabwali, Sirsa, Fatehabad, Hisar, Hansi, Rohtak, Bahadurgarh in the State of Haryana, Delhi [except portion of ring road from Punjabi Bagh (km. 12.300 of old NH No. 10) to Nizamudin bridge ring road T junction (km. 0.00 of old NH No. 24) and Nizamudin bridge ring road T junction (km. 0.00 of old NH No. 24) to Delhi/ Uttar Pradesh border (Km.8.360 of old NH No.24) in the NCT of Delhi, Dasna [except from Delhi/ Uttar Pradesh border (Km.8.360 of old NH No.24) to Dasna (km. 28.400 of old NH No. 24)], Moradabad, Rampur, Bilaspur in the State of Uttar Pradesh, Rudrapur, Sitarganj, Khatima, Tanakpur, Pithoragarh, Oglā, Askot, Dharchula, Tawaghat, Sirkha, Maipa, Garbyang and terminating at Lipu Lekh Pass near Indo/China border in the State of Utrkhand.

Footnote:— The National Highways Act, 1956 (48 of 1956) and the Schedule thereto was published in the Gazette of India vide notification number S.R.O. 1180 dated 4th April, 1957 and was substituted vide notification number S.O.689(E), dated 4th April, 2011 and last amended vide notification number S.O. 2163(E), dated 29th June, 2020.

[F. No. NH-14012/10/2020-P&M]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.